

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग**

-: अधिसूचना :-

राँची, दिनांक :- 27-02-17

अधि.सं.-01/स्था.(पदस्थापन)-11-01/2017.....676 / जल संसाधन विभाग, राँची के निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (नियमित/ चालू प्रभार) जिनका कॉलम-03 में वर्तमान पदस्थापन अंकित है, अगले आदेश तक कॉलम-04 में अंकित पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

क्रमांक	नाम/आई.डी./ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश कुमार चौधरी 3252/दरभंगा	कार्यपालक अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल-3, राँची	कार्यपालक अभियंता सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, राँची	
2	श्री अभिषेक मिंज सी 017/राँची	कार्यपालक अभियंता कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	कार्यपालक अभियंता सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, बनासो	
3	श्री चन्द्रशेखर 4409/बलिया (यू.पी.)	कार्यपालक अभियंता रूपाकण प्रमंडल सं0-2, देवघर	कार्यपालक अभियंता सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, देवघर	
4	मो. आफताब आलम 3416/रोहतास	कार्यपालक अभियंता आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल मेदिनीनगर	कार्यपालक अभियंता सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, मंडल	

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(हेमन्त कुमार भक्त)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 676

राँची, दिनांक :- 27-02-17

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(हेमन्त कुमार भक्त)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 676

राँची, दिनांक :- 27-02-17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंतर्गत विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(हेमन्त कुमार भक्त)

सरकार के उप सचिव (प्र.)